

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 34

व्यय विभाग

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|---|--------------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | 3.50 | 139.22 | 142.72 | 4.00 | 152.84 | 156.84 | 44.30 | 151.73 | 196.03 | 60.00 | 166.65 | 226.65 |
| पूँजी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | 3.50 | 139.22 | 142.72 | 4.00 | 152.84 | 156.84 | 44.30 | 151.73 | 196.03 | 60.00 | 166.65 | 226.65 |
| ब.अ. 2016-2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 2052 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 109.74 | 109.74 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान | 2070 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11.38 | 11.38 |
| 3. सरकारी लेखा और वित्त संस्थान | 2070 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.53 | 5.53 |
| 4. नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड | 2070 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.00 | 40.00 |
| 5. सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली/सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली | 3475 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60.00 | ... | 60.00 |
| जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 60.00 | 56.91 | 116.91 |
| सं.अ. 2015-2016 | | | | | | | | | | | | |
| 6. सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 2052 | ... | 87.61 | 87.61 | ... | 92.17 | 92.17 | ... | 91.96 | 91.96 | ... | ... |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 7. राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना | 2070 | 3.50 | 1.40 | 4.90 | 4.00 | 1.40 | 5.40 | 4.00 | 1.40 | 5.40 | ... | ... |
| 8. सिविल लेखा संगठन के लिए प्रशिक्षण केन्द्र (सरकारी लेखा और वित्त संस्थान) | 2070 | ... | 4.29 | 4.29 | ... | 4.91 | 4.91 | ... | 5.05 | 5.05 | ... | ... |
| 9. एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान | 2070 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | ... |
| 10. नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को सेवा प्रभार | 2070 | ... | 34.56 | 34.56 | ... | 38.00 | 38.00 | ... | 37.00 | 37.00 | ... | ... |
| 11. सातवां केंद्रीय वेतन आयोग | 2070 | ... | 9.51 | 9.51 | ... | 11.54 | 11.54 | ... | 9.61 | 9.61 | ... | ... |
| 12. व्यय प्रबंधन आयोग | 2070 | ... | 1.84 | 1.84 | ... | 4.81 | 4.81 | ... | 6.70 | 6.70 | ... | ... |
| 13. राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान | 3475 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.30 | ... | 40.30 | ... | ... |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 3.50 | 51.61 | 55.11 | 4.00 | 60.67 | 64.67 | 44.30 | 59.77 | 104.07 | ... | ... | ... |
| कुल जोड़ | 3.50 | 139.22 | 142.72 | 4.00 | 152.84 | 156.84 | 44.30 | 151.73 | 196.03 | 60.00 | 166.65 | 226.65 |
| विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 32070 | 3.50 | ... | 3.50 | 4.00 | ... | 4.00 | ... | 4.00 | ... | ... | ... |
| 2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 13475 | ... | ... | ... | ... | ... | 40.30 | ... | 40.30 | 60.00 | ... | 60.00 |
| जोड़ | | 3.50 | ... | 3.50 | 4.00 | ... | 44.30 | ... | 44.30 | 60.00 | ... | 60.00 |

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएँ:** यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान:** यह प्रावधान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के वित्त एवं लेखा अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए है।

3. **सरकारी लेखा और वित्त संस्थान:** यह प्रावधान सिविल लेखा संगठन के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने से संबंधित व्यय के लिए है।

4. **नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड:** यह प्रावधान नई पेंशन योजना के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभागों के भुगतान संबंधी व्यय के लिए है।

5. **सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:** यह प्रावधान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत विभिन्न योजनाओं के पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन की जानकारी हेतु वेब आधारित अनुप्रयोगों के विकास पर होने वाले खर्च के लिए है। यह योजना 37 करोड़ रुपए की राशि के साथ 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच के जरिए जुलाई, 2015 से योजना मंत्रालय से स्थानांतरित हो गई है।